



F-07-11

F-07-08

सेना उड़नयोज्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1523 का संशोधन सहीत नवीकरण
Amendment Cum Renewal of Type Approval No. 1523

विषय / Sub: डी-आईसिंग करंट सेंसिंग यूनिट (डीसीएसयू), पार्ट सं. 1100 020 060 03

De-icing Current Sensing Unit (DCSU), Part No.: 1100 020 060 03

यह घोषित किया जाता है कि एडीई, डी आर डी ओ, बेंगलूरु – 560 093 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), जालहल्ली पोस्ट, बेंगलूरु- 560 013 द्वारा उत्पादित "डी-आईसिंग करंट सेंसिंग यूनिट (डीसीएसयू)" पार्ट सं. 1100 020 060 03 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1523, दिनांक 30 सितंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1523 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था।

This is to state that the "De-Icing Current Sensing Unit (DCSU)" bearing the Part No. 1100 020 060 03, designed, developed by Aeronautical Development Establishment (ADE), DRDO, Bengaluru - 560 093 and manufactured by M/s. Bharat Electronics Limited, Jalahalli, Bengaluru - 560 013, was issued with Type Approval No.: 1523 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1523, Dated: 30th September 2010, and with validity up to 31st December 2015.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st July 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Bengaluru - 560 037, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1523, दिनांक 30 सितंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1523, Dated: 30th September 2010 is Amended as stated herewith.

“ [अगर इस वर्ग अनुमोदन के संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।
All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1523/1R

दिनांक/Date : **29 July 2016**

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

 



पी. जयपाल / P. JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)